महाविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) स्थापित करने और मॉनीटरिंग करने संबंधी XIIवीं योजना (2012–2017) के दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

महाविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) स्थापित करने और मॉनीटरिंग करने संबंधी XIIवीं योजना के

दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के सांविधिक निकाय के रूप में नवंबर, 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देश में अनुदान देने वाली एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसका अपना विशिष्ट स्थान है। इसमें दो दायित्व निहित हैं जिसमें से एक है निधियां प्रदान करना और दूसरा है उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों का समन्वय, विनिर्धारण और उन्हें बनाए रखना। उच्च शैक्षिक संस्थानों के मानकों को मॉनीटर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितंबर, 1994 में इस अधिनियम की धारा 12 (गगग) के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना की है। एनएएसी सतत सुधार के उद्देश्य से उच्च शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्ता संबंधी बोध की भावना पैदा कर रहा है। लेकिन मानकों में स्थायी सुधार 5 वर्ष में एक बार बाहर से ही प्रत्यायन करके नहीं लाया जा सकता है। अतः उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा संस्कृति की गुणवत्ता को संरक्षण, आश्वासन और संवृद्धि के लिए आंतरिक तंत्र आवश्यक हो गया है। कई उच्च शिक्षा संस्थानों ने पश्च प्रत्यायन गुणवत्ता संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों के रूप में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना पहले ही कर दी है। ऐसे संस्थागत आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के महत्त्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए सभी महाविद्यालयों को निदेश देने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है, जिनके लिए इसने मूल वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

2. व्याप्ति

ऐसे सभी महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3(च) के अधीन सूचीबद्ध/मान्यताप्राप्त हैं और जिन्हें इस अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है।

3. भाग क : महाविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने संबंधी दिशानिर्देश

महाविद्यालय में गुणवत्ता संबंधी बोध की भावना बनाए रखना महत्त्वपूर्ण होता है। वास्तव में, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की संकल्पना एक ऐसे तंत्र के रूप में की गई है जिससे संस्थाओं के स्तर पर गुणवत्ता संबंधी संस्कृति का निर्माण किया जा सके और उसे सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक महाविद्यालय में एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली होनी चाहिए और उसका एक समुचित ढांचा और प्रक्रिया होनी चाहिए तथा उसमें स्टेकहोल्डरों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्याप्त नम्यता होनी चाहिए। संस्थान के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को "आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी)" कहा जा सकता है। आईक्यूएसी गुणवत्ता आश्वासन की योजना बनाने, उसका मार्गदर्शन करने और मॉनीटरिंग करने तथा महाविद्यालय के गुणवत्ता संबंधी क्रियाकलापों का प्रोन्नयन करने के लिए होता है।

आईक्यूएसी शैक्षिक उत्कृष्टता के संबंध में किसी संस्थान के प्रयासों और उपायों को दिशा देगा और उन्हें सुव्यवस्थित करेगा। लेकिन इसे संस्थान में एक दूसरे पदक्रम वाला ढांचा या अभिलेख रखने वाले क्रियाकलाप के रूप में नहीं होना चाहिए। यह संस्थान को सुकर बनाने और संगठन में सहयोग देने के लिए होगा। कमियों को दूर करने और गुणवत्ता को बढ़ाने के साधन की कार्यनीति तैयार करके गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसे एक प्रभावी बल के रूप में होना चाहिए।

4. आईक्यूएसी का ढांचा

आईक्यूएसी को प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। उन्हें एक समन्वयक द्वारा सहयोग दिया जाएगा, जो वरिष्ठ संकाय सदस्य होगा। इस पद को संबंधित संकाय सदस्य अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभालेगा या इसके लिए एक पूर्णकालिक निदेशक/समन्वयक का नया पद सृजित किया जा सकता है और चुना गया तथा नियुक्त किया गया व्यक्ति अथवा वरिष्ठ संकाय सदस्य को पुनः परिनियोजित किया जा सकता है।

5. आईक्यूएसी का संघटन

आईक्यूएसी का संघटन इस प्रकार होगाः

(क) प्रधानाचार्य – अध्यक्ष

(ख) पांच वरिष्ठ अध्यापक और एक वरिष्ठ प्रशसनिक अधिकारी – सदस्य

(ग) गुणवत्ता प्रबंधन/औद्योगिक/स्थानीय समुदाय के दो विशेषज्ञ – सदस्य

(घ) निदेशक/समन्वयक – सदस्य सचिव

उपर्युक्त (ख) और (ग) श्रेणी के सदस्यों को महाविद्यालय के शैक्षिक निकाय (महाविद्यालय की शैक्षिक समिति) से परामर्श करके महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा नामित किया जाएगा। इस प्रकार नामित सदस्यों की सदस्यता दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। आईक्यूएसी की बैठकें एक तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए। बैठक का कोरम सदस्यों की कुल संख्या का दो–तिहाई भाग होगा। कार्यसूची, कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और उस पर इन अधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे और इसे एक फार्मेट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा।

6. लक्ष्य

1. महाविद्यालय के शैक्षिक और प्रशसनिक कार्य–निष्पादन में सुधार लाने के लिए सजग, सतत और उत्प्रेरक योजनाबद्ध कार्रवाई करने के लिए एक गुणवत्ता प्रणाली का विकास करना।
2. गुणवत्ता संस्कृति के अंतरराष्ट्रीयकरण और संस्थागत सर्वोत्तम परिपाटियों के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में संस्थागत कार्य करने के लिए उपायों को बढ़ावा देना।

7. आईक्यूएसी के निम्नलिखित कार्य होंगे:

- महाविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्ग/मापदंड तैयार करना और उन्हें लागू करना।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और संकाय की परिपक्वता के लिए शिक्षार्थियों पर केंद्रित सहायक वातावरण को तैयार करने में सुविधा देना ताकि सहभागिता संबंधी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के लिए अपेक्षित ज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सके।

- गुणवत्ता से संबंधित संस्थागत प्रक्रियाओं के संबंध में विद्यार्थियों, माता–पिता और अन्य स्टेकहोल्डरों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की व्यवस्था करना।

- उच्च शिक्षा के विभिन्न गुणवत्ता संबंधी मापदंडों के संबंध में सूचना का प्रसार करना।

- गुणवत्ता से संबंधित उद्देश्यों और गुणवत्ता परिमंडल को बढ़ावा देने संबंधी आंतरिक और बाह्य संस्थागत कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन करना।

- महाविद्यालय के ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को लिपिबद्ध करना, जिनसे गुणवत्ता में सुधार हो सके।

- गुणवत्ता से संबंधित क्रियाकलापों, जिनमें अच्छी परिपाटियों को अपनाना और उनका प्रसार करना भी शामिल है, के समन्वय के लिए महाविद्यालय की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना ।

- संस्थागत गुणवत्ता को बनाए रखने/उसमें वृद्धि करने के प्रयोजन के लिए एमआईएस के माध्यम से संस्था का डेटाबेस तैयार करना और उसे बनाए रखना।

- संगत गुणवत्ता आश्वासन निकाय (जैसे एनएएसी, एनबीए, एबी) द्वारा विकसित गुणवत्ता संबंधी मापदंडों/मूल्यांकन के मानदंडों के आधार पर निर्धारित फार्मेट में विद्यालय की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर) तैयार करना।

- गुणवत्ता संबंधी रडार (क्यू आर) द्विवार्षिक रूप से विकसित करना और एक्यूएआर के आधार पर महाविद्यालय के आंतरिक यूनिटों को वर्गीकृत करना।

- पूर्व और पश्च प्रत्यायन गुणवत्ता मूल्यांकन, जीवन और उनमें वृद्धि करने संबंधी प्रयासों के संबंध में एसक्यूएसी के साथ बातचीत करना।

8. अनुवर्ती कार्रवाई

- एक्यूएआर को महाविद्यालय के सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ताकि गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी आवश्यक उपायों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

- महाविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन निकाय, एनएएसी/अन्य प्रत्यायन निकायों को अपनी एक्यूएआर नियमित रूप से प्रस्तुत करेंगे।

- सभी महाविद्यालय एक्यूएआर और/या गुणवत्ता रडार (क्यूआर) तथा एक्यूएआर पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट मांगे जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

- आईक्यूएसी अपनी संस्थागत वेबसाइट पर एक विशिष्ट विंडो अवश्य तैयार करेगी ताकि अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट और एक्यूएआर डालने संबंधी रिपोर्ट उसमें नियमित रूप से डाली जा सके।

9. आईक्यूएसी के लाभ

(क) स्पष्टता का उच्च स्तर सुनिश्चित करना और गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से किए जाने वाले संस्थागत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना।

(ख) गुणवत्ता संबंधी संस्कृति का अंतरराष्ट्रीयकरण सुनिश्चित करना।

(ग) महाविद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों और अच्छी परिपाटियों को बढ़ाना और उनमें तारतम्य सुनिश्चित करना।

(घ) संस्थागत कार्यों में सुधार करने के लिए निर्णय करने संबंधी अच्छे आधार तैयार करना।

(ड.) महाविद्यालय में गुणवत्ता परिवर्तनों के लिए गतिशील प्रणाली के रूप में कार्य करना।

(च) दस्तावेज तैयार करने और आंतरिक पत्राचार के लिए एक सुसंगठित प्रविधि तैयार करना।

10. आईक्यूएसी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की पात्रता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन आने वाले सभी महाविद्यालय अपने महाविद्यालयों में आईक्यूएसी की स्थापना करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

प्रत्येक महाविद्यालय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह दो बैचों के पास होने या 6 माह, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायन प्राप्त करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आईक्यूएसी की स्थापना करने और उसे सुदृढ़ करने के व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय को 3.00 लाख रुपए प्रदान करेगा। इस व्यय को निम्नलिखित मदों पर खर्च किया जा सकता है:

संख्या	अनुदान का प्रयोजन	महाविद्यालय (रुपए)
1.	आईक्यूएसी के निदेशक/समन्वयक को 1000X12X5 की दर से मानदेय	60,000/–
2.	कार्यालय उपस्कर	60,000/–
3.	सचिवालयी और तकनीकी सेवाओं के लिए भाड़ा प्रभार	60,000/–
4.	आईसीटी संचार व्यय	70,000/–
5.	आकस्मिक व्यय	50,000/–
	जोड़	**3,00,000/–**

11. भाग ख : मॉनीटरिंग तंत्र

(क) राज्य गुणवत्ता प्रकोष्ठ (एसक्यूएसी) और संबद्ध विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के आईक्यूएसी के कार्यों को मॉनीटर करेंगे।

(ख) एनएएसी और अन्य संबंधित प्रत्यायन निकाय महाविद्यालय के आईक्यूएसी के कार्यों को मॉनीटर करेंगे।

(ग) एनएएसी का सहयोगी दल और अन्य प्रत्यायन निकायों के दल आईक्यूएसी के साथ विचार–विनिमय करेंगे।

12. आईक्यूएसी की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट का फार्मेट अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

आईक्यूएसी की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर) का फार्मेट

महाविद्यालय का नाम : .....

रिपोर्ट का वर्ष : .....

खड क : गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में वर्ष के शुरू में आईक्यूएसी द्वारा निर्धारित कार्य योजना (यदि अपेक्षित हो तो कृपया अलग पन्ना संलग्न करें)

.....

.....

.....

.....

.....

खंड ख : निम्नलिखित के संबंध में विवरण (कृपया अलग पन्ना संलग्न करें)

1. महाविद्यालय के लक्ष्यों और उद्देश्यों को दर्शाने वाले क्रियाकलाप
2. शुरू किए गए नए शैक्षिक कार्यक्रम (स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर)
3. पाठ्यक्रम की रूपरेखा और व्यवहार में नवप्रवर्तन
4. शुरू किए गए अंतःविषय कार्यक्रम
5. लागू किए गए परीक्षा सुधार
6. एनईटी/एसएलईटी/जीएटीई आदि परीक्षाओं में उत्तीण उम्मीदवार :
7. संकाय विकास कार्यक्रम की दिशा में की गई पहलें
8. आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं की कुल संख्या
9. अनुसंधान संबंधी परियोजनाएं – (क) चालू (ख) पूर्ण
10. तैयार किए गए पेटेंट, यदि कोई हों

11. नए सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम

12. विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त अनुसंधान संबंधी अनुदान

13. शोध छात्रों का विवरण

14. संकाय सदस्यों की उपस्थिति का सूचक और प्रभावी कारण

15. संकाय सदस्यों को प्राप्त सम्मान/पुरस्कार : राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

16. तैयार किए गए आंतरिक संसाधन

17. ऐसे विभागों का विवरण, जिन्हें एसएपी, सीओएसआईएसटी (एएसएसआईएसटी)/डीएसटी, एफआईएसटी और अन्य कार्यक्रमों के अधीन सहायता/ मान्यता मिल रही है।

18. सामुदायिक सेवाएं

19. नए भर्ती किए गए अध्यापक और अधिकारी

20. शिक्षण और गैर–शिक्षण संबंधी कर्मचारियों का अनुपात

21. पुस्तकालय सेवाओं में सुधार

22. खरीदी गई नई पुस्तकें/पत्रिकाएं और उनका मूल्य

23. ऐसे पाठ्यक्रम, जिनमें विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन शुरू किया गया है और विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि पर की गई कार्रवाई

24. स्टेकहोल्डरों से प्रतिपुष्टि

25. शिक्षा की यूनिट लागत

26. प्रशासन और दाखिला प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम तथा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी कार्यों का कंप्यूटरीकरण

27. बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि

28. प्रौद्योगिकी का प्रोन्नयन

29. अध्यापकों, गैर–शिक्षण कर्मचारियों और विद्यार्थियों की कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच और उसका प्रशिक्षण

30. विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

31. पूर्व छात्र संघ के क्रियाकलाप और उनसे प्राप्त सहायता

32. माता पिता–अध्यापक संघ के क्रियाकलाप और उनसे प्राप्त सहायता

33. स्वास्थ्य सेवाएं

34. खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों में प्रदर्शन

35. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

36. विद्यार्थियों की उपलब्धियां और पुरस्कार

37. मार्गदर्शन और परामर्श यूनिट के क्रियाकलाप

38. विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली स्थापन सेवाएं

39. गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए विकास कार्यक्रम

40. संस्था की अच्छी परिपाटियां

41. राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय, शैक्षिक/अनुसंधान निकायों के साथ विकसित संबंध

42. पिछले वर्ष के एक्यूएआर पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

43. कोई अन्य संगत सूचना, जो संस्था जोड़ना चाहे

खंड ग : वर्ष के अंत तक प्राप्त परिणाम (यदि अपेक्षित हो तो कृपया अलग पन्ना संलग्न करें)

.....

.....

.....

.....

.....

खंड घ : अगले वर्ष के लिए महाविद्यालय की योजनाएं

.....

.....

.....

.....

.....

आईक्यूएसी के निदेशक/समन्वयक
का नाम और हस्ताक्षर

आईक्यूएसी के अध्यक्ष
का नाम और हस्ताक्षर